प्रेस विज्ञप्ति

02.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मीठी नदी गाद निकासी घोटाले से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन मामले में चल रही जांच के संबंध में 31.07.2025 को मुंबई में 08 स्थानों पर अनुवर्ती तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान में बीएमसी ठेकेदारों, मेसर्स एक्यूट डिज़ाइन्स, मेसर्स कैलाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स एन ए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जे.आर.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर और बीएमसी इंजीनियर, श्री प्रशांत कृष्ण तायशेते से जुड़े कार्यालय/आवासीय परिसर शामिल थे। वर्तमान तलाशी कार्रवाई में कई बैंक खातों/एफडीआर/डीमैट खातों में 47 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज की गई। इसके अलावा, तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल उपकरण, विभिन्न अचल संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड व आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं जो पीएमएलए के तहत आगे की कार्यवाही हेतु प्रासंगिक हैं।

ईडी ने मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 65 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में उपरोक्त व्यक्तियों/संस्थाओं सहित 13 व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 0075/2025 दिनांक 06.05.2025 के आधार पर जांच शुरू की।

जांच और तलाशी अभियान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया मीठी नदी से गाद निकालने से संबंधित कार्यों में उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा एसडब्ल्यूडी विभाग, बीएमसी और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से विभिन्न अनियमितताओं का संकेत देते हैं। जांच के दौरान यह पता चला है कि उपरोक्त बीएमसी ठेकेदारों ने विभिन्न झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिनमें भूमि मालिकों से सहमति पत्र और संबंधित ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल थे, जो कथित तौर पर गाद डंपिंग के लिए इस्तेमाल की गई भूमि के लिए थे। जांच से यह भी पता चला है कि बीएमसी अधिकारियों ने 2021-2022 में मीठी नदी से गाद निकालने के लिए निविदाओं में प्रस्तुत की गई सिल्ट पुशर और बहुउद्देशीय एंफीबियस पोंटून मशीनों की खरीद और उपयोग में वित्तीय लाभ के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया है।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 06.06.2025 को 18 स्थानों पर सर्च किए थे। इस मामले में जब्त/फ्रीज की गई अपराध आय (पीओसी) का कुल मूल्य अब लगभग 49.8 करोड़ रुपये है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।